भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.04.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 5258 का उत्तर

रेलवे की भूमि पर रहने वाले परिवारों/निवासियों का पुनर्वास

5258. श्री अरुप चक्रवर्ती:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर्द्र क्षेत्र के 5000 से अधिक निवासियों को रेलवे भूमि से बेदखल करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) नितुरिया ब्लॉक की साइड से उपलब्ध रेलवे भूमि के कुल क्षेत्रफल तथा साइडिंग निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त क्षेत्र पर मौजूदा स्कूल को चलाने तथा वहां रहने वाले परिवारों और निवासियों के पुनर्वास के लिए सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित आद्रा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने के लिए चिह्नित किया गया है। किसी भी अवसंरचना परियोजना के लिए विवाद रहित भूमि की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण घटक है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आद्रा स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत आद्रा में रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे व्यतक्तियों को बेदखली नोटिस जारी किए गए हैं।

निटुरिया ब्लॉक की ओर उपलब्ध रेल भूमि का कुल क्षेत्रफल 91.20 हेक्टेयर है, जिसमें से 3.24 हेक्टेयर भूमि टर्मिनल के निर्माण के लिए गति शक्ति मल्टीमॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) ऑपरेटर को सौंपी गई है।

फिलहाल, अतिक्रमित क्षेत्र में पड़ने वाले किसी भी स्कूल को बेदखली का नोटिस जारी नहीं किया गया है। आद्रा मंडल में रेल भूमि पर स्थित स्कूल, स्कूल प्राधिकरणों और रेल प्रशासन के बीच हुए भूमि समझौते के प्रावधानों के अनुसार यथावत् रहेंगे। रेल भूमि खाली करवाने के लिए रेल प्रशासन द्वारा रेल भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यीक्तियों की कठिनाइयों को कम से कम करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाता है। साथ ही, रेलवे विस्थापित लोगों के उचित पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग करता है।

*****